कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**सर्वश्री भारतीय स्टेट बैंक, ए0 सी0 एण्ड पी0 विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, हजरजगंज, लखनऊ ।**
प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक	**060 / 14, 22.12.2014**
प्रार्थी की ओर से	**श्री गिरीश कुमार भमड़ी, मुख्य प्रबन्धक ।**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

प्रार्थी सर्वश्री सर्वश्री भारतीय स्टेट बैंक, ए0 सी0 एण्ड पी0 विभाग, स्थानीय प्रधान कार्यालय, मोती महल मार्ग, हजरजगंज, लखनऊ द्वारा दिनांक 22.12.2014 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा Barcode Based Passbook Printing Kiosk पर, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर की दर से सम्बन्धित प्रश्न पूछा गया है ।

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री गिरीश कुमार भमड़ी, मुख्य प्रबन्धक उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि प्रश्नगत वस्तु एक पासबुक प्रिन्टिंग उपकरण है, तथा यह उपकरण पासबुक पर लगे बारकोड को पढ़कर पासबुक की प्रिन्टिंग करता है । यह उपकरण मुख्य सर्वर से बिना तार के जुड़ा रहता है और पासबुक पर लिखे बारकोड एवं एकाउन्ट नम्बर को पढ़कर पासबुक प्रिन्टिंग करता है । सुनवाई के समय प्रार्थी द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रश्नगत उपकरण का प्रयोग केवल पासबुक की प्रिन्टिंग के लिए ही किया जाता है जिसके अन्तर्गत RAM एवं ROM भी मेमोरी के रूप में रहता है। यह उपकरण Lan Cable के माध्यम से बैंक के सी0बी0एस0 से जुड़ा रहता है जिसके माध्यम से कस्टमर के डेटा को लेकर पासबुक पर प्रिन्टिंग का कार्य करता है । प्रार्थी द्वारा इस उपकरण को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या-22 जो निम्नवत् है :-

प्रविष्टि संख्या-22

Computer system and peripherals, Computer Parts, Electronic diaries.

उक्त प्रविष्टि के अन्तर्गत Computer system के peripherals के रूप में मानते हुए कर की दर का विनिश्चिय करने का अनुरोध किया गया है ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ द्वारा पत्र संख्या-2495, दिनांक 07.01.2015 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि ''बारकोडेड पासबुक प्रिन्टिंग कियोस्क'' एक प्रकार की इलेक्ट्रानिक मशीन है, जिसके द्वारा बार-कोड को Read करने, स्कैन करने, एवं प्रिन्ट करने का कार्य बैंकों में किया जाता है । इस प्रकार यह एक Multi Functional डिवायस है, जो उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या-22 पर परिभाषित '' Computer system

.......2

and peripherals, Computer Parts, Electronic diaries. '' के अन्तर्गत नहीं आता है । अत: उक्त डिवायस अधिनियम के शेड्यूल-II, पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या-22 पर परिभाषित '' Computer system and peripherals '' के अन्तर्गत न आने के कारण अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करयोग्य है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रश्नगत उपकरण एक इलेक्ट्रानिक मशीन है जिसके अन्तर्गत कम्प्यूटर सिस्टम का कोई भी Features जैसे-मानीटर एवं सी0पी0यू0 नहीं होता । कम्प्यूटर के peripherals के रूप में माउस, की-बोर्ड एवं प्रिन्टर जो कम्प्यूटर से जुड़ा रहता है, तथा कम्प्यूटर से अलग करने के उपरान्त इसकी अलग से कोई उपयोगिता नहीं होती। स्वतन्त्र रूप से कम्प्यूटर के peripherals से कोई भी कार्य सम्पादित नहीं किया जा सकता जब तक कि इसे कम्प्यूटर से जोड़ा न जाय। जबकि प्रश्नगत वस्तु स्वतन्त्र रूप से एक प्रिन्टिंग मशीन है, जिसे प्रार्थी के तर्कों के अनुरूप कम्प्यूटर के peripherals के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती। अत: यह वस्तु उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-I, II, III एवं IV में न आने के कारण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर, लखनऊ जोन-प्रथम, लखनऊ, द्वारा प्रेषित आख्या एवं मामले से सुसंगत विधिक प्राविधानों का परिशीलन किया गया। विचारोपरान्त पाया गया कि प्रश्नगत वस्तु एक स्वतन्त्र रूप से इलेक्ट्रानिक मशीन है जो एक विशिष्ट प्रयोजन के लिए अर्थात ग्राहकों के पासबुक को प्रिन्टिंग करने के लिए ही प्रयोग की जाती है। अत: प्रश्नगत वस्तु-Barcode Based Passbook Printing Kiosk को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-बी की प्रविष्टि संख्या-22 पर परिभाषित Computer system के peripherals के रूप में मान्यता नहीं प्रदान की जा सकती बल्कि यह एक स्वतन्त्र उपकरण है जिसमें कम्प्यूटर सिस्टम के peripherals की कोई Characteristics अन्तर्निहित होना नहीं पाया गया । इस सम्बन्ध में यह भी उल्लेखनीय है कि इस मशीन में प्रिन्टर के साथ स्कैनर एवं बारकोड रीडर भी है, जो बिना कम्प्यूटर से जुड़े हुए कार्य करता है।

Computer peripherals को निम्न रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है :-

1. <u>Input devices,</u> such as a mouse and a key-board
2. <u>Output devices</u>, such as a monitor and printer

जहाँ तक प्रार्थी द्वारा प्रश्नगत उपकरण-Barcode Based Passbook Printing Kiosk के अन्तर्गत RAM एवं ROM होने के आधार पर पूरे मशीन को कम्प्यूटर सिस्टम का peripherals माना जा रहा है वह भी तर्क संगत नहीं है, जैसे-RAM एवं ROM मोबाइल फोन में भी होता है, मात्र इस आधार पर मोबाइल फोन को Computer peripherals नहीं माना जा सकता है । इस प्रकार Barcode Based Passbook Printing Kiosk बिल्कुल एक अलग वस्तु है जो बाजार में एक भिन्न नाम से जानी जाती है। अत: Test of Buyer / Seller के सिद्धान्त के दृष्टिगत क्रेता व विक्रेता इस वस्तु को जिस रूप में पहचानते हैं तथा जिस रूप में प्रयोग किये जाते हैं, के आधार पर प्रश्नगत वस्तु भिन्न प्रकार की वस्तु है तथा विशिष्ट प्रयोजन के लिए अभिप्रेत है।

...3

अत: Barcode Based Passbook Printing Kiosk के उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-I, II, III एवं IV में न आने के कारण उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उक्त निर्णय की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाय।

दिनांक 16 जनवरी, 2015

ह0 / 16.01.2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।